

26/10/24

पत्रावली पेश। वहील शुभ पत्र उप.।

मूल वाद का निस्तारण। निर्णय हो जाने

से प्रथम पत्र अन्तर्गत खण्ड 212 RT.।।।।

आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः पत्रावली इस तरह पर निर्णय की

जाती है पत्रावली फौजदारी होकर फौजदारी

संग हो व नम्बर से कम है। (५०)

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

